

आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या- पं0नि0 30-95/2021 - 1965

सत्यमेव जयते

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 5.4.21

विषय : त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन, 2021 - पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण स्थिति को 'डिजिटाइज' कराने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1912 दिनांक 27.03.2021

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रांक 1912 दिनांक 27.03.2021 द्वारा पंचायत के पदों के आरक्षण की स्थिति को प्रविष्ट कर 'डिजिटाइज' अन्तर्गत जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले पंचायत, पंचायत समिति क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले पंचायत के प्रा.नि.क्षे. (वार्ड) संख्या तथा ग्राम पंचायत प्रा.नि.क्षे. में मतदान केन्द्र को भी अंकित कराये जाने का निदेश दिया गया है। जिसकी कार्रवाई एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया था।

विदित है कि पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण की स्थिति से संबंधित आयोग द्वारा अनुमोदित सूची जिला कार्यालय में संरक्षित है। जिसकी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराने के साथ-साथ निम्न कार्रवाई की जाय :-

1. जिला परिषद के पदों से संबंधित आरक्षण की आयोग द्वारा अनुमोदित सूची को अनुमंडल पदाधिकारी या जिला पंचायत राज पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आयोग के वेबसाइट पर जिला के लॉगिन के माध्यम से अपलोड करा दी जाय।
2. शेष पदों से संबंधित सूची को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी तथा आयोग के वेबसाइट पर प्रखंड लॉगिन के माध्यम से अपलोड की जायेगी।
3. तत्पश्चात सभी प्रतिहस्ताक्षरित प्रति को जाँच-परख कर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के अग्रसारण पत्र के साथ संलग्न कर आयोग के वेबसाइट पर जिला के लॉगिन के माध्यम से अपलोड कर आयोग को प्रेषित की जायेगी।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


5/4/2021
सचिव।